न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेट
जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– श्री गोविंद सिंह आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या. 19 / 2025
किस्म :– **प्रार्थना–पत्र**
दायर दिनांक : 08.05.2025 **निर्णय दिनांक** : 16.07.2025

उनवान

1. शम्भुसिंह पिता देवा उर्फ देवीसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी सैलागुढा तहसील आमेट जिला राजसमन्द

............प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आमेट जिला राजसमन्द (राज.)

..............विपक्षी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

प्रार्थी की ओर से :– **अधिवक्ता प्रफुल्ल शर्मा**
विपक्षी की ओर से :– **सरकार**

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व गांव सैलागुडा पटवार हल्का सैलागुडा तहसील आमेट जिला राजसमंद मे स्थित खाता संख्या नया 37 पुराना 411 के आराजी नम्बर 2515, 2516, 2518, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2526, 2528 से 2533 कुल किता 15 रकबा 14.7801 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का 1/6 हिस्सा राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है। खाता संख्या नया 25 पुराना 398 के आराजी नम्बर 1813, 1814, 1825, 1829, 1830 कुल किता 05 रकबा 2.9527 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का 1/268 हिस्सा राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है। प्रार्थी का वास्तविक एवं सही नाम शम्भुसिंह पिता देवीसिंह है, परन्तु प्रार्थी के पिता की मृत्यु के बाद विरासत से खुलने वाले नामान्तकरण करण मे प्रार्थी का नाम गलती से घर का बोलता नाम पपु पिता देवा अंकित कर दिया गया। जब कि उक्त वर्णित भूमि पर प्रार्थी ही अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है एवं किसी अन्य का कोई हक, दखल, तालूक नही है। प्रार्थी का सही नाम शम्भुसिंह पिता देवीसिंह है। प्रार्थी के आधार कार्ड, कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र मे प्रार्थी का नाम शम्भुसिंह पिता देवीसिंह अंकित है, जो विरासत से इन्तकाल खोलते समय गलती से घर का बोलता नाम अंकित कर दिया गया है, जिसकी शुद्धि किया जाकर प्रार्थी का नाम शम्भुसिंह पिता देवीसिंह किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थी ने सरकार द्वारा मिलने वाले लाभ

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आमेट, जिला-राजसमन्द

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

(किसान सम्मान निधि राशि) प्राप्त करने हेतु जमाबन्दी की नकल निकलवाई तो ज्ञात हुआ कि राजस्व जमाबन्दी मे प्रार्थी का नाम पपु पिता देवा गलत अंकित है, जिस पर प्रार्थी ने राजस्व रेकार्ड मे नाम सही कराने के लिए तहसीलदार साहब आमेट के यहां निवेदन किया किन्तु इन्द्राज दुरस्ती नही की गई। जिससे मजबुर होकर प्रार्थी को आप श्रीमान् के समक्ष यह प्रार्थना पत्र पेश करना पड रहा है। प्रार्थी द्वारा एक सप्ताह पूर्व भी विपक्षी को उक्त राजस्व रेकार्ड मे गलत इन्द्राज सुधार कर प्रार्थी का नाम "पपु पिता देवा" के बजाय "शम्भुसिंह पिता देवीसिंह" अंकित करने का निवेदन किया, किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नही होने से वाद हेतुक उत्पन्न होकर लगातार जारी है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि राजस्व ग्राम सैलागुडा पटवार हल्का सैलागुडा तहसील आमेट जिला राजसमंद की उक्त वर्णित भूमि मे काश्तकार के नाम की प्रविष्ठी में प्रार्थी का नाम "पपु पिता देवा" के बजाय "शम्भुसिंह पिता देवा उर्फ देवीसिंह" अंकित किया जाकर नाम को दुरस्त किया जाने का आदेश प्रदान किया जावें। तद्नुसार राजस्व रेकार्ड को दुरस्त किया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार आमेट ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी शम्भूसिंह पुत्र देवा उर्फ देवीसिंह का राजस्व रिकॉर्ड में नाम पपु पिता देवा दर्ज है जो प्रार्थी का आम बोलचाल में बोलता नाम हैं। राजकीय दस्तावेज यथा मतदाता पहचान पत्र० UFU 0450858, आधार कार्ड सं0 996243550857 राशनकार्ड, पेनकार्ड, सं० DWVPS 1998R में वादी का नाम शम्भूसिंह पुत्र देवा उर्फ देवीसिंह दर्ज हैं। राजकीय योजनाओं में लाभ उठाने के लिए प्रार्थी का सही नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराना चाहता है।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर यह ताईद हैं कि शम्भूसिंह पुत्र देवा उर्फ देवीसिंह एवं पपु पिता देवा दोनों अलग–अलग व्यक्ति नहीं होकर एक ही व्यक्ति है। प्रार्थी पपु पिता देवा के स्थान पर शम्भूसिंह पुत्र देवा उर्फ देवीसिंह किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज पहचान पत्र, आाधर कार्ड, पेन कार्ड मे प्रार्थी का नाम शम्भूसिंह पुत्र देवा उर्फ देवीसिंह अंकित है, जिससे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य साबित हैं।

:: आदेश ::

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार किया जाता हैं एवं राजस्व गांव सैलागुडा पटवार हल्का सैलागुडा तहसील आमेट जिला राजसमंद मे स्थित खाता संख्या नया 37 पुराना 411 के आराजी नम्बर 2515, 2516, 2518, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2526, 2528 से 2533 कुल किता 15 रकबा 14.7801 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 25 पुराना 398 के

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेट, जिला-राजसमन्द

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

आराजी नम्बर 1813, 1814, 1825, 1829, 1830 कुल किता 05 रकबा 2.9527 हैक्टेयर भूमि में पपु पिता देवा को विलोपित करते हुए के स्थान पर शम्भूसिंह पुत्र देवा उर्फ देवीसिंह राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तुर रहे। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

(गोविंद सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)

निर्णय आज दिनांक 16.07.2025 खुले न्यायालय पर आदेश सुनाया गया।

(गोविंद सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)